

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(190)एमई/ग्रुप-1/96

जयपुर, दिनांक : 15/12/2020

आदेश

डॉ. महेश कुमार केसवानी, आचार्य, पी.एस.एम. विभाग, मेडिकल कॉलेज, अजमेर की दिनांक 25.09.2020 को असामयिक मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप डॉ. केसवानी को दिनांक 25.09.2020 (मध्याह्न पश्चात) से राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. महेश कुमार केसवानी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पी.एस.एम. विभाग, मेडिकल कॉलेज, अजमेर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से

41  
15/12/2020  
(सुनील शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर को उनके पत्रांक 44634 दिनांक 16.10.2020 के सन्दर्भ में।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर।
5. डॉ. महेश कुमार केसवानी (वर्तमान में देहान्त), आचार्य, पी.एस.एम. विभाग मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

15/12/2020  
(रमेश चन्द्र आर्य)

शासन वरिष्ठ उप सचिव